न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-46/2017

दाखली पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी दहकी तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- अर्जुनराम पुत्र गोदाराम जाति बलाई निवासी ग्राम नाथाकी नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

2- भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

3- राज्य सरकार जिलाधीश सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-5-2017 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा घोषणा रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 3189 में से वादी की आराजी ख0नं0 व 3189/1/3 रकबा 0.89 हैक्टर ग्राम पीथमपुरी का वादी काबिज काश्तकार खातेदार है जिसकी पूर्वी नक्शे में तरमीम नहीं की गई । पूर्व में ख0नं0 3189 का एक ही नक्शा था । सैटलमेन्ट में उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बर डाले गये तथा नये नम्बरों के आधार पर ही नक्शे में तरमीम की गई । जिसमें वादी के पुराने ख0नं0 3189/1/3 का नया खसरा नं0 4916 रकबा 0.89 हैक्टर डाला

गया तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं0-1 के पुराने ख0नं0 3189/2 के नये खसरा नं0 4918 रकबा 1.25 हैक्टर एवं ख0नं0 4919 रकबा 1.28 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 2.53 हैक्टर डाला गया । उक्त खसरा नम्बरों के मौके पर गये बिना एवं कब्जे की जांच किये बिना ही तरमीम कर दी जो गलत है । पूर्व जमाबन्दी में वादी का नाम अर्जुनराम दर्ज था जिसे नई जमाबन्दी में अर्जनराम कर दिया । वादी ख0नं0 4916 पर क्रय के बाद से काबिज चला आ रहा है ।वादी की उक्त आराजी ख0नं0 3054 के पूर्व की तरफ सटकर है जिस पर वादी काबिज है ।वादी की भूमि ख0नं0 3189/1/3 के नये खसरा नं0 4916 को उसके वास्तविक स्थान पर दर्ज न कर दूसरे स्थान पर दर्शा दिया ।जबकि वादी का खसरा नं0 वास्तव में नजरी नक्शें के अनुरूप नये ख0नं0 4918 के स्थान पर मौजूद है जिसको कौके की स्थिति के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। जिसमें ख0नं0 4918 रकबा 1.25 हैक्टर में हल्का पटवारी की रिपोर्ट व नक्शें में वर्णित मार्क ए0बी0सी0 डी0ई0 का नया खसरा नं0 4918/1 रकबा 0.89 हैक्टर कायम किया जावे तथा वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी का नाम भी अर्जनराम के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर अर्जुनराम दुरूस्त किया जावे । तथा मार्क बी0सी0जी0एच का नया बटटा नम्बर 4918/2 रकबा 0.36 कायम किये जावे जिसका खातेदार प्रतिवादी सं0-1 को रखा जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत ने पत्रावली का बिना अवलोक किये अपना निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है। अदालत मातहत के समक्ष हल्का पटवारी की दो रिपोर्ट दिनांक 7-11-2016 व दिनांक 4-1-2017 की थी। जिसमें दि0 7-11-2016 में ख0नं0 4916 रकबा 0.89 हैक्टर की खातेदारी अर्जनराम के नाम होने व ख0नं0 4918 रकबा 1.25 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट के नाम होने

व वर्तमान में एसबीबीजे नीमकाथाना के रहन रखने व ख0नं0 4919 का पुराना ख0नं0 3189/1/3 होने तथा खसरा नं0 4918 का पुराना खसरा नं0 3189/2 की रिपोर्ट दी जिस पर वादी अर्जनराम व उसके साजिश व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, तथा रिपोर्ट दिनांक 4-1-2017 में नये पुराने खसरा नं0 व वादी का कब्जा ख0नं0 4918 रकबा 1.25 हैक्टर में से पश्चिमी दक्षिणी दिशा की तरफ रकबा 0.89 हैक्टर पर संलग्न नक्शा ए0बी0सी0डी से दर्शित भाग पर उपस्थित दो व्यक्तियों ने कब्जा बताया गया अंकन है जिस रिपोर्ट पर सिवाय हल्का पटवारी के किसी भी उपस्थित व्यक्ति या सक्षम रेवन्यू अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । अर्थात रिपोर्ट पूर्णतया अस्पष्ट व आधी अधुरी है जो बन्द कमरे में बैठकर तैयार की गई है। जिसको आधार मानकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । दौराने सैटलमेंन्ट वादी के खेत पर अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के खेत पर वादी/रेस्पोडेन्ट का दिखाया हो ऐसी कानूनी गलती सैटलमेन्ट से सम्भव नहीं है। खसरा नम्बर गलत दर्ज किया गया है तो रकबे में भी अन्तर होगा । इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषक दो अपीलांन्ट एकपक्षीय सुनी गई ।

बहस बगौर एकपक्षीय समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी सं0-2055 से 2058 में ख0नं0 3189/1/3 रकबा 0.89 हैक्टर की खातेदारी मोहनलाल पुत्र मांगूरैगर के नाम दर्ज है । नामा0सं0-6552 विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार मोहन के बजाय क्रेता अर्जुनराम पुत्र गोदाराम बलाई के नाम स्वीकार किया गया है ।नकल जमाबन्दी सं0- 2067 से 2070 में खसरा नं0 3189/2 रकबा 2.53 हैक्टर की खातेदारी हणमान पुत्र गोगा के नाम दर्ज है । जो नामा0सं0 3555 के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार हणमान के स्थान

दिनाक 4-1-2017 का अवलोकन किया गया । यह स्वीकृत तथ्य है कि पूर्व में ख0नं0 3189 एक ही खेत था जिसका नक्शा भी एक ही था यह मौका रिपोर्ट एवं दावा स्पष्ट है ।रिपोर्ट में इस खसरा नम्बर में किस खातेदार का कौनसे स्थान पर कब्जा है अपील उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। साथ ही ख0नं0 3189 की तरमीम करते समय यह गलती रही है जिसको मौके के अनुसार रिपोंट में दर्ज किया है । प्रस्तुत वाद में न तो खातेदारी का विवाद है और न ही रकबे का कमअधिक का विवाद है। विवाद केवल नक्शे में तरमीम नहीं करने के कारण हुआ है जिसको तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अदालत मातहत ने दुरूस्त किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-5-2017 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

5/3/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर